**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 184 / 2017 (उदयपुर डिक्री)**

1. कूका पिता मोडा जी गायरी, निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. लालू पिता सवा जी गायरी, निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

**बनाम**

1. राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, हाल तहसील बड़गांव जिला उदयपुर
3. नगर विकास प्रन्याय उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्याय उदयपुर

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) गिर्वा
दिनांक 10.07.2017 प्र.सं. 339 / 13

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

**निर्णय** **दिनांक 23–10–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 63 (4), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बड़ी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमि स्थित होकर उस पर वादीगण का कब्जा 50 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। अतः वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 10–07–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–11–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर उनकी ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें बिना सूचना दिये प्रकरण राजस्व लोक अदालत में निर्णित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगा को दिनांक 06–11–2017 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में करीब 2 माह का बिलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अपीलान्ट को बिना सुने लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जा परिपक्व हो चुका है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकर की जाकर कथित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्टगण के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय अपीलान्ट/वादीगण के वाद का मुख्य आधार प्रतिकूल कब्जा है, जबकि नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय ने भी इसी आधार पर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(प्रियंका जोधावत)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

**कूका पिता मोडा जी गायरी निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य** बनाम **राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**184 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर**.....
**(फास्ट ट्रेक) गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....10**.....माह.....**07**.....**2017**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**....माह.....**.10**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा.....**मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पंकज भटनागर**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**.10**.....**2019** को जारी किया गया।

**(प्रियंका जोधावत)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।